

.....सोल्बी.....द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण
पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का वाद विरुद्ध
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण.....पुखराज राम वर्मा.....
अन्तर्गत धारा 212A के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955/
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो।
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली
दिनांक 29/10/2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

2318
29/10/2018

29/10/2018

वकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं/भ्रमण पर
हैं/अवकाश पर हैं। अतः पेशी इल्लवा होकर
पत्रावली दिनांक 10.1.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर

30/10/2018

पत्रावली पेश हुई
वकील प्रार्थीगण उपरोक्त
प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दि 10.1.2019 से आज दि
ने पेश हुई
वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थीगण
पत्र में पत्रकारों के मध्य समाजिक स्तर से निस्तारण हो गया
ही उक्त प्रार्थना पत्र आज नहीं चलाना चाहते ही अतः पत्रावली
Not Press करते ही पत्रावली नोट प्रेस होने से श्वरीक होकर
दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Not Press
Bk
30/10/18

